

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 382/2013/सीकर.

2. अपील संख्या - 383/2013/सीकर.

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन-तृतीय, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स अर्श डेयरीमैक्स प्रा0 लिमिटेड,
खाटूश्यामजी इण्डस्ट्रियल एरिया, रींगस, सीकर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री खेमराज, सदस्य

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. के. बैद,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05/09/2016


निर्णय

1. ये दो अपीलें अपीलार्थी राजस्व द्वारा उपायुक्त(अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 191 व 192/अपील्स-तृतीय/11-12/सीकर में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 21.08.2012 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत पेश की गयी है।

2. दोनों अपीलों के पक्षकार, तथ्य व विवादित बिन्दु सदृश्य है। अतः दोनों अपीलों का निस्तारण संयुक्त निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मिल्क प्रोडक्ट्स का व्यवसाय किया जाता है। वाणिज्यिक कर विभाग की टीम द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 24.06.2011 को किया जाने पर पाया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा स्थानीय विक्रेताओं से ताजा दूध क्रय किया जाकर, दूध को पाश्च्युरीकृत कर क्रीम निकाली जाती है। क्रीम से घी तैयार किया जाता है। क्रीमरहित दूध से पाश्च्युरीकृत ठण्डा दूध व स्कीमड मिल्क पाउडर बनाया जाता है। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा दूध से चार उत्पाद यथा क्रीम, घी, पाश्च्युरीकृत ठण्डा दूध व स्कीमड मिल्क पाउडर तैयार कर विक्रय किये जाते हैं। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा पाश्च्युरीकृत ठण्डे दूध को एच.टी. एस. मिल्क के नाम से अर्थात् हाई टोटल सेपरेटेड मिल्क के नाम से मैसर्स

लगातार.....2



मदर डेयरी एवं मैसर्स फ्रूट एण्ड वेजीटेबल प्रा० लिमिटेड, नई दिल्ली को रुपये 130/- से 170/- प्रति किलो की दर से विक्रय किया जाता है। प्रत्यर्थी द्वारा उक्त समस्त उत्पादों को वेट अधिनियम की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या 15 व 11 के अन्तर्गत कवर्ड मानते हुए करमुक्त विक्रय किया जाता है।

4. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन राजस्थान, वृत्त-तृतीय, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यों का अध्ययन/अवलोकन करने, व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद एच.टी.एस. के संघटकों का परीक्षण करने तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपने विक्रेताओं को विक्रय किये जाने सम्बन्धी तथ्यों का परीक्षण करने के उपरान्त एच.टी.एस. को **हाई टोटल सॉलिड मिल्क** अवधारित करते हुए वेट अधिनियम की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या 11 व 15 से कवर्ड होना नहीं मानते हुए वेट अधिनियम की अनुसूची-V के अन्तर्गत मानते हुए 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य माना गया। उक्त समस्त तथ्यों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों वर्ष 2009-10 व 2010-11 के वेट अधिनियम की धारा 25, 61, 55 सपठित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 के तहत पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.09.2011 को पारित करते हुए आलौच्य अवधियों में बिक्रीत एच.टी.एस. मिल्क पर 14 प्रतिशत की दर से कर, तदनुसार ब्याज एवं धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

अपील संख्या	कर निर्धारण अवधि	H.T.S. Milk की कुल बिक्री	आरोपित		
			कर	ब्याज	शास्ति
382/2013	2009-10	4,92,53,211	68,95,450	12,41,180	1,37,90,900
383/2013	2010-11	2,09,34,955	29,30,894	1,75,860	58,61,788

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय अधिकारी के पृथक-पृथक पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.08.2012 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया एवं आरोपित कर एवं ब्याज के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये गये कि "माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 33 एस.टी.सी. 381 इन्डोडेन मिल्क प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स, यू.पी. में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपने क्रेता व्यवहारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का भारत/राज्य सरकार के तकनीकी उपक्रमों से जांच करवाने के उपरान्त प्रस्तुत साक्ष्य/जांच

लगातार.....3

रिपोर्ट का कर निर्धारण अधिकारी अपने स्तर पर जांच करवाने के उपरान्त विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी है।

6. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद एच.टी.एस. मिल्क 'हाई टोटल सेपरेटेड मिल्क' ना होकर 'हाई टोटल सॉलिड मिल्क' है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त उत्पाद को अपने क्रेता व्यवहारियों को रुपये 130/- से 170/- प्रति किलो की दर से विक्रय किया गया है, जबकि सामान्य दूध का मूल्य रुपये 20/- से 30/- प्रति किलो है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि व्यवहारी द्वारा दूध को पाश्च्युरीकृत कर क्रीम निकाली जाती है तथा क्रीम रहित दूध को गर्म कर 1/4 कर लिया जाता है। इसके पश्चात् केवल सॉलिड मिल्क ही बचता है, जिसका है, जिसका विक्रय किया गया है। वेट अधिनियम की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-15 "Fresh Milk and Pasteurized milk other than UHT milk and skimmed milk powder" एवं प्रविष्टि संख्या-11 "Curd, Lussi, Butter milk & separated milk" का अंकन किया गया है, जिसमें HTS Milk का अंकन नहीं होने से विवादित उत्पाद स्पष्ट रूप से वेट अधिनियम की अनुसूची-V के तहत कवर्ड होता है, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित प्रकार से 14 प्रतिशत की दर से करारोपण, तदनुसार ब्याज एवं करापवंचन की मंशा के मददेनजर शास्ति का आरोपण किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों का समुचित अवलोकन किये बिना धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त करते हुए कर व ब्याज के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

7. बहस के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि व्यवहारी द्वारा स्थानीय विक्रेताओं से दूध क्रय किया जाकर दूध के रूप में ही विक्रय किया गया है। केवलमात्र परिवहन व्यय को कम करने के उद्देश्य से दूध को गर्म करके 1/4 किया जात है, जिसे हाई टोटल सेपरेटेड के नाम से बिक्रीत किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने बिना किसी आधार के 'हाई टोटल सेपरेटेड' को 'हाई टोटल सॉलिड' अवधारित करते हुए 14 प्रतिशत से करारोपण किये जाने में

लगातार.....4

विधिक त्रुटि की गयी है। वेट अधिनियम की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या 15 एवं 11 में दूध एवं इसके उत्पादों का स्पष्ट रूप से अंकन किया गया है, जिसक तहत व्यवहारी का उत्पाद भी कवर्ड होता है एवं करमुक्त माल की श्रेणी में शुमार होता है। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय न्यायालयों के निम्न न्यायिक दृष्टान्तों को उद्धरित किया है -

- (1) (1974) 33 STC 381 (All) Indodan Milk Products Ltd. v. Commissioner of Sales Tax, U.P.
- (2). (1992) 86 STC 105 (Guj.) Chunilal Mayachand v. State of Gujarat
- (3) (1980) 45 STC 498 (Madras) The State of Tamil Nadu v. Indodan Milk Products
- (4) (1983) 52 STC 117 (Bombay) Commissioner of Sales Tax v. Agarwal & Co.
- (5) (1990) 79 STC 211 (Andhra) State of Andhra Pradesh v. Guntur District Milk Producers Co-Operative Unit Ltd.
- (6) 2001 U.P.T.C. 328 Commissioner of Trade Tax v. Nainital Dugdh Utpadan Sahkari Sangh Ltd.
- (7) (1987) 64 STC 180 (SC) Indian Aluminium Cables Ltd. v. Union of India and Others
- (8) 37 Tax Update 189 (RTB) Commercial Taxes Officer, AE, Zone-I, Jaipur v. 1. M/s Menon Piston Rings Pvt. Ltd. Jaipur 2. M/s Federal Mugal Goyatz (India) Pvt. Ltd. Jaipur
- (9) (2013) 19 Vat Reporter 191 (Delhi) Ricoh India Limited v. Commissioner
- (10) (2006) 145 STC 200 (SC) Puma Ayurvedic Herbal (P.) Ltd. v. Commissioner, Central Excise, Nagpur
- (11) 19 Tax Update 97 (Raj.) The State of Rajasthan & Another v. M/s Deys Medical Stores Ltd. Jaipur & Another
- (12) (2009) 23 VST 249 (SC) Sree Krishna Electricals v. State of Tamil Nadu and Another
- (13) 32 Tax Update 3 (Raj.) CTO (A-E), Sriganaganagar v. M/s Durgeshwari Food Ltd. Sriganaganagar
- (14) (2014) 40 Tax Update 47 (Raj.) C.T.O. AE Zone-I, Jaipur v. M/s Shyam Agency
- (15) (2016) 13 RGSTR 30 (Raj.) C.T.O. v. M/s Banbino Agro Industries Ltd.

8. उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

9. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

10. हस्तगत प्रकरण में विवादित बिन्दु यह है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद एच.टी.एस., 'हाई टोटल सेपरेटेड' है अथवा 'हाई टोटल सॉलिड' ? यह निर्विवादित तथ्य है कि एच.टी.एस. दूध से निर्मित किया जाता है। व्यवहारी द्वारा स्थानीय विक्रेताओं से दूध क्रय किया जाकर उसे गर्म किया जाता है एवं दूध की मात्रा को 1/4 करने के उपरान्त टैंकरों के माध्यम से दिल्ली के व्यवसायियों को बिक्रीत किया जाता है। उक्त समस्त प्रक्रिया में प्रत्यर्थी द्वारा दूध में अन्य कोई रसायन अथवा अन्य कोई सामग्री नहीं मिलाई जाती है। अतः विवादित बिक्रीत उत्पाद में संघटक वही रहते हैं, जो कि सामान्य दूध में पाये जाते हैं। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद को दूध से भिन्न वस्तु अवधारित करते हुए वेट अधिनियम की अनुसूची-1 की प्रविष्टि संख्या 11 व 15 से भिन्न मानते हुए सामान्य दर से करारोपण एवं देय कर अदेय रहने के कारण ब्याज का आरोपण किया गया है, साथ ही सामान्य दर से कर योग्य वस्तु का विक्रय करमुक्त किये जाने के आधार पर वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का भी आरोपण किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी के समस्त संब्यवहारों का इंड्राज लेखा-पुस्तकों में पाये जाने के आधार पर वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है, जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2009) 23 वी.एस.टी. 249 श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 32 टैक्स अपडेट 03 वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है।

11. जहां तक प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद एच.टी.एस. को 'हाई टोटल सॉलिड' मानते हुए सामान्य दर से करारोपण किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 33 एस.टी.सी. 381 इन्डोडेन मिल्क प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स, यू.पी. में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में निर्णय पारित किया जावे, इस सम्बन्ध में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के

लगातार.....6

उपरोक्त निर्णय तथा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1980) 45 एस.टी.सी. 498 (मद्रास) स्टेट ऑफ तमिलनाडू बनाम इन्डोडेन मिल्क प्रोडक्ट्स में निम्न व्यवस्था दी गयी है :-

1. Indodan Milk Products v. Commissioner of Sales Tax U.P. [1974] 33 STC 381

The expression "milk" as used in section 4(a) of the U.P. Sales Tax Act, 1948, is not confined to milk obtained and sold in its natural form, but means milk in any form including condensed milk. Therefore, the turnover of the sale of condensed milk is completely and generally exempt from payment of sales tax under section 4(a) of the U.P. Act and it is also not liable to Central sales tax by virtue of section 8(2A) of the Central Sales Tax Act, 1956.

The expression "milk product" in Notification No. S.T. 911IX dated 31st March, 1956, has been used in the sense of a product obtained from milk which is essentially different from it and is not used as milk. If the commodity obtained as a result of processing of milk continues to retain the essential quality of milk as commonly understood, its sale will be exempt from payment of sales tax under section 4(a) of the Act and it cannot be made taxable under a notification issued for purposes of exempting the turnover of certain sales from tax.

Condensed milk is nothing but milk in concentrated form which is obtained by evaporating water from milk in a fluid state, and thereafter some sugar or preservative is added to it. It is in fact milk and not a milk product as contemplated by the notification dated 31st March, 1956.

2. The State of Tamil Nadu v. Indodan Milk Products [1980] 45 STC 498 (Madras)

As far as the processed milk is concerned, in T.C. No. 428 of 1976 [State of Tamil Nadu represented by the Deputy Commissioner (CT), Madras Division, Madras-600001 v. Imperial Lassie] by judgment dated 28th October, 1976, this Court held that simply because milk was boiled and sugar and spices were added it did not cease to be milk. Similarly, in the present case, the process employed for obtaining condensed milk has been described by the Allahabad High Court by referring to a passage in Encyclopaedia Britannica. What is actually done is to dehydrate the milk or take the water out of the milk, so that the milk can with added preservative stand for a long time. Such

लगातार.....7


milk does not cease to be milk because the water content has been reduced or removed. This is what happens in every kitchen every day while boiling, and boiled milk does not cease to be milk. We are, therefore, unable to accept the submission that merely because there is some process employed, the milk has ceased to be milk. The popular concept of milk also does not appear to be different. We understand that even the bottled milk supplied by the Madhavaram Dairy where also some process is employed is not subjected to tax. The authorities themselves appear to understand that bottled milk is nothing but milk. The conclusion cannot be different in the present case also.

The revision petition fails and is dismissed. No costs.


12. माननीय न्यायालयों द्वारा दी गयी उपरोक्त व्यवस्था के मददेनजर दूध को गर्म किया जाकर पानी को कम किये जाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप अवशेष उत्पाद को दूध ही अवधारित किया गया है तथा दूध पर निर्धारित कर दर अनुसार ही करयोग्य अवधारित किया गया है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त के आलोक में पुनः निर्णय पारित किये जाने के निर्देशों के साथ प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है।

13. परिणामस्वरूप अपीलीय अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में एवं कर व ब्याज के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें बलहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। अपीलीय आदेश दिनांक 21.08.2012 की पुष्टि की जाती है।

14. निर्णय सुनाया गया।



(मनोहर पुरी)
सदस्य



(खेमराज)
अध्यक्ष